seas markets for the sale of iron ore concentrate and pellets, which would result in higher production since production is tied to sales. These efforts have already started showing results as is evident from the increase in production every year.

(c) The iron ore extracted is beneficiated and the concentrate thus produced as exported to various countries, in the form of concentrate or pellets.

**Clearance of slums in Metropolitan Cities**

2248. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there are any centrally sponsored schemes presently under implementation in the four metropolitan cities to clear the slums and for resettlement of the people displaced from the slums; and

(b) if so, what progress has been made under the above schemes during the last three years and how many families have been benefited?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) The present policy of the Government emphasises on environmental improvement of slums in site rather than their clearance and relocation and under the State sector scheme of Environmental Improvement of Urban Slums (EIUS), basic amenities are provided in the urban slums, including these in the metropolitan cities. Besides, a special assistance of Rs. 100 Crores is to be provided to the Government of Maharashtra during the Seventh Plan for solving the acute housing and slum problems in Bombay.

**Houses requisitioned by Government**

2249. SHRIMATI PRATIBHA SINGH:
SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the reply to Starred Question 162 given in the Rajya Sabha on 6th May, 1983 and state:

(a) whether the house of one person which was requisitioned in Delhi in 1948 and the house of one widow, Shrimati Wiranwali, 52, South Basti, Harphool Singh, Delhi which was also requisitioned earlier by Government has since been derequisitioned and vacated for occupation by their owners;

(b) if so, when; and

(c) if not, what are the reasons therefor and by when these are likely to be derequisitioned and vacated?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**बिहार में बोरिंग पम्पसेट घोटाले में अन्तर्ग्रस्त बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

2250. **श्री अशोक नाथ वर्मा :** क्या कृषि मंत्री 22 नवम्बर, 1985 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 94 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और इस बारे में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के उन छह: अधिकारियों के नाम और पते क्या हैं जो बिहार में बोरिंग पम्पसेट घोटाले में अन्तर्ग्रस्त थे और उनके विरुद्ध कब, कहां और कानून के किस उपबन्ध के अधीन मुकदमें दायर किये गए हैं ;

(ख) इसी घोटाले में अन्तर्ग्रस्त अन्य बैंक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही ना किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कितने अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई और कितने अधिकारी दोषी पाए गए हैं ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा):** (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दरभंगा जिले (बिहार)

में बोरिंग उपकरण की सप्लाई और पम्पसैटों के लिए अग्रिम राशियों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के निम्नलिखित 6 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिये गये थे :—

| | |
|---|---|
| 1. श्री बी०एन० सिन्हा, शाखा प्रबंधक, डालसिंह सराय । | मामला सं०-आर सी/35/81- पटना |
| 2. श्री डी०एन० झा, उप लेखाकार, डालसिंह सराय । | -वही- |
| 3. श्री बी०बी० राय, शाखा प्रबंधक, मुरादपुर । | मामला सं०-39/82-पटना |
| 4. श्री एस०के० चौधरी, शाखा प्रबंधक, बनीपुर शाखा । | मामला सं०-40/82-पटना |
| 5. श्री विजय कुमार, कृषि सहायक, बनीपुर शाखा । | -वही- |
| 6. श्री रामधिन ठाकुर, कृषि सहायक, बनीपुर शाखा । | -वही- |

बिहार के दरभंगा जिले में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित 13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्य कर रहे थे । बैंकिंग प्रभाग ने जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए मामले को बैंकों के साथ उठाया था । बैंकिंग प्रभाग ने सूचित किया था कि सभी बैंकों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं और सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया को छोड़कर किसी भी बैंक ने ग्रामीण विकास विभाग के 6 मार्च, 1985 के पत्र में बताए गए अग्रिमों के स्वरूप में कोई अनियमितता नहीं बताई थी । उपलब्ध जानकारी के अनुसार मामले सुनवाई के लिए न्यायालय में लम्बित हैं ।

**बिहार में पम्प सेटों की सप्लाई में अन्तर्ग्रस्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

2251. **श्री अशोक नाथ वर्मा :** क्या कृषि मंत्री 22 नवम्बर, 1985 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 94 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार से दिनांक 16 नवम्बर, 1985 के प्राप्त पत्र के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा आगे और क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही आरम्भ की गई थी और उनमें से कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया ; और

(ग) जब इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा अन्य जांच अभिकरणों द्वारा पहले ही की जा चुकी है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की सिफारिश भी की गई है, तो बिहार सरकार किन कारणों से इस मामले की जांच सतर्कता विभाग से दुबारा कराना चाहती है ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) :** (क) और (ख) बिहार की राज्य सरकार ने 16 नवम्बर, 1985 के अपने पत्र के द्वारा बताया था कि वे पम्पसैटों की सप्लाई में हेरा-फेरी के बारे में आरोपों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा करवा रहे हैं । तभी से भारत सरकार मामले को राज्य सरकार के साथ उठा रही है कि मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है । सचिव (ग्रामीण विकास) ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को लिखे 15 जुलाई, 1986 के अर्धशासकीय पत्र और उसके बाद 2 अगस्त, 1986 और 11 नवम्बर, 198 के अर्धशासकीय अनुस्मारकों और 1 दिसम्बर, 1986 के तार द्वारा भेजे गए